



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

1363
क्रमांक.../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/शुस/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/12/2018

कुलसचिव,
पी. के. विश्वविद्यालय,
राष्ट्रीय राजमार्ग, 27 ग्राम-थनरा,
शिवपुरी (म.प्र.) ।

विषय:- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018-19 हेतु शुल्क की समीक्षा हेतु प्रोवीजनल आदेश ।

—00—

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में वर्ष 2018-19 हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क की समीक्षा समिति की अनुशंसा एवं आयोग की 140वीं बैठक दिनांक 10.12.2018 को लिए गए निर्णय अनुसार, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित प्रोवीजनल शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रु. लाख में)

स.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क		
			पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क (15%)	योग
1	Diploma In Engg.	28,000	23,800	4,200	28,000
2	B.tech	50,000	42,500	7,500	50,000
3	M.Tech	60,000	51,000	9,000	60,000
4	BBA	20,000	17,000	3,000	20,000
5	MBA	50,000	42,500	7,500	50,000
6	BCA	28,000	23,800	4,200	28,000
7	PGDCA	30,000	25,500	4,500	30,000
8	MCA	50,000	42,500	7,500	50,000
9	D.Ph.	90,000	76,500	13,500	90,000
10	B.Ph.	110,000	93,500	16,500	110,000
11	BA	15,000	12,750	2,250	15,000
12	MA	20,000	17,000	3,000	20,000
13	B.Com	15,000	12,750	2,250	15,000
14	M.Com	20,000	17,000	3,000	20,000
15	B.Sc. (Science)	15,000	12,750	2,250	15,000
16	M.sc (Science)	30,000	25,500	4,500	30,000
17	B.Sc. (Agri. Sc.)	40,000	34,000	6,000	40,000

18	M.sc (Agri. Sc.)	40,000	34,000	6,000	40,000
19	BHMCT (H. Man.)	50,000	42,500	7,500	50,000
20	P.Hd.	55,000	46,750	8,250	55,000
21	LLB	20,000	17,000	3,000	20,000
22	BALLB	20,000	17,000	3,000	20,000

- उपरोक्त शुल्क के पाठ्यक्रम के संचालन से संबन्धित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल है। तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/मेस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परन्तु इनका लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- कुल अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क 15% का लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में करना होगा।
- उपरोक्त शुल्क प्रोविजनल है, जिसकी समीक्षा विश्वविद्यालय को अप्रैल 2019 के पूर्व कराना अनिवार्य है।
- आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा। अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहां से की गई स्पष्ट करनी होगी, यदि लागतें कम हुईं तो अधिक वसूली गई फीस छात्रों को वापस करना होगी।

(मा.अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

सचिव / सीईओ
 म.प्र. निजी वि.वि.वि. आयोग,
 भोपाल